भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 75
जिसका उत्तर सोमवार, 3 फरवरी, 2025/14 माघ, 1946 (शक) को दिया गया

छात्रों पर बकाया ऋण

75. श्री अरुण नेहरू:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का छात्र-ऋण हेतु एकबारगी निपटान नीति लाने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा उन छात्रों पर क्या कार्रवाई की गई है, जो लिए गए बकाया ऋण को चुका पाने में अक्षम हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग): भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 28 अप्रैल, 2001 के परिपत्र आरपीसीडी.पीएलएनएफएस.बीसी.सं.83/06.12.05/ 2000-01 के माध्यम से सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा तैयार की गई मॉडल शिक्षा ऋण योजना (एमईएलएस) को अपनाने की सलाह दी गयी थी। तब से इस योजना को आईबीए द्वारा समय-समय पर संशोधित किया गया है और इसका नवीनतम संशोधन एमईएलएस, 2022 है। इस योजना में अन्य बातों के साथ-साथ अध्ययन अवधि और उसके पश्चात् एक वर्ष तक अधिस्थगन अवधि प्रदान की गई है साथ ही पुनर्भुगतान अवधि (अधिस्थगन के बाद) 15 वर्षों तक उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त, इस योजना में यह व्यवस्था की गई है कि बैंक

i. ऋण की अवधि के दौरान अल्प-रोजगार/बेरोजगारी की अवधि अर्थात् दो या तीन बार (एक समय में अधिकतम 6 महीने) को ध्यान में रखते हुए अधिस्थगन अवधि का विस्तार कर सकते हैं।
ii. कुछेक मामले (अर्थात् डॉक्टर जैसे पेशों) में 'कालक्रम में किस्त की बढ़ोत्तरी के साथ पुनर्भुगतान निर्धारित करने पर विचार कर सकते हैं।

******